(104)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एम0के0सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 4010–दो/2015 – विरूद्व– आदेश दिनॉक 09–12–2015 – पारित व्दारा अपर कलेक्टर, जिला दतिया – प्रकरण कमांक 21/2014–15 अपील

1– भागीरथ पुत्र भजन
2– राकेश पुत्र रामस्वरूप
3– मनोज पुत्र रामस्वरूप
4– अखिलेश कुमार पुत्र रामस्वस्प
5– भगवतीप्रसाद पुत्र रामस्वरूप
सभी ग्राम मलियापुरा तहसील सेवढ़ा
जिला दतिया मध्य प्रदेश ——आवेदकगण

विरूद्व

रामसिया मृत विधिक वारिस
1– श्रीमती विटोली पत्नि स्व.रामसिया
2– राजीव पुत्र स्व.रामसिया
3– संजीव पुत्र स्व. रामसिया
ग्राम मलियापुरा तहसील सेवढ़ा
जिला दतिया मध्य प्रदेश
4– श्रीमती ममता पुत्री स्व. रामसिया
पत्नि श्री आनन्दन पाठक
5– श्रीमती अर्चना पाठक पुत्री स्व.रामसिया
निवासी कुआ कसोली तहसील दतिया
6– श्रीमती रेखा पुत्री स्व. रामसिया
पत्नि श्री सुनील त्रिपाठी, मोहनपुरा
तहसील सेवढ़ा जिला दतिया
7– मनीष पुत्र स्व.रामसिया निवासी दतिया ——अनावेदकगण

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी)
(अनावेदकगण के अभिभाषक श्री एल0एस0धाकड़ एंव प्रदीप श्रीवास्तव)

आ दे श

(आज दिनॉक 4 -11 -2016 को पारित)

यह निगरानी अपर कलेक्टर, जिला दतिया के प्रकरण कमांक 21/2014–15 अपील में पारित आदेश दि.09–12–2015 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि मृतक रामसिया ने अपने जीवनकाल में अनुविभागीय अधिकारी सेवढ़ा के समक्ष मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 113 के अंतर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मांग की कि उसके एवं आवेदकगण के सहस्वामित्व व आधिपत्य की भूमि सर्वे कमांक 188/2 रकबा 2.50 एकड़ सर्वे कमांक 287 रकबा 2.82 एकड़, सर्वे कमांक 333/1 रकबा 0.90 एकड़ , सर्वे कमांक 335 रकबा 0.72 एकड़, सर्वे कमांक 359 कबा 6.50 एकड़, सर्वे कमांक 364/1 रकबा 4.00 एकड़ कुल किता 9 कुल रकबा 26.14 एकड़ जिनके चकबंदी एंव बंदोवस्त के वाद नवीन सर्वे नंबर (अनुविभागीय अधिकारी सेवढ़ा के आदेश दिनांक 30-3-15 में अभिलिखित अनुसार) बने है तथा आगे जिसे वादग्रस्त भूमि अंकित कर सम्बोधित किया गया है , सह-भूमिस्वामित्व व आधिपत्य के हैं जिनका अभिलेख दुरूस्त किया जावे। अनुविभागीय अधिकारी सेवढ़ा ने प्रकरण कमांक 01 ए-129/2014-15 पंजीबद्व किया तथा जांच एंव सुनवाई कर आदेश दिनॉक 30-3-15 पारित करके मृतक रामसिया व्दारा मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 113 के अंतर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अप्रचलन योग्य होना मानकर निरस्त कर दिया।

इस आदेश के विरूद्व अपर कलेक्टर, दतिया के समक्ष अपील कमांक 21/2014-15 प्रस्तुत की गई। अपर कलेक्टर दतिया ने हितबद्व पक्षकारों की सुनवाई कर प्रकरण कमांक 21/2014-15 अपील में आदेश दिनांक 09-12-2015 पारित किया तथा अपील स्वीकार करते हुये निम्नानुसार निर्णय दिया :-

" प्रकरण में संलग्न रिकार्ड में ग्राम मलियापुरा किस्तबंध खतौनी वर्ष 1982-83 खाता क. 111 अपीलांट व रिस्पा0 के नाम समान भाग 1/4 के रूप में इन्द्राज है साथ ही अपीलार्थी वर्तमान में उपरोक्त आराजी पर काविज होकर कृषि कार्य कर रहा है। हलका पटवारी व्दारा राजस्व अभिलेख में बगैर किसी सक्षम अधिकारी से आदेश दिये अपीलांट का नाम विलोपित किया गया है जो इन्द्राज दुरूस्ती की श्रेणी में होकर संहिता की धारा 113

में अधीनस्थ न्यायालय व्दारा सुनवाई में लिया जाकर विधिवत् जांच उपरांत आदेश पारित किया जाना था परन्तु प्रकरण के अवलोकन से अधीनस्थ न्यायालय व्दारा विवेचना ठीक तरह से न किया जाना परिलक्षित होता है। अतः उपरोक्त तथ्यों एंव विवेचना के परिप्रेक्ष्य में अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 30-3-15 निरस्त किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि विकय पत्र दिनांक 23-8-72 के अनुसार अपीलांट का नाम कय की गई उपरोक्त भूमि में 1/4 भाग पर पूर्वानुसार दुरुस्त किया जाकर राजस्व अभिलेख में अमल करें। ''

अपर कलेक्टर दतिया के इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेखों का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्कों पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख के अवलोकन से प्रकरण की स्थिति यह है कि जब मृतक रामसिया (अब उसके उत्तराधिकारीगण) का नाम विकय पत्र व्दारा कय की गई वादग्रस्त भूमि पर हिस्सा 1/4 के सहस्वामित्व पर नाम दर्ज चला आ रहा था, तब क्या नवीन खसरा बनाते समय पटवारी को उक्तानुसार अभिलेख में स्वस्तर से सॅशोधन करने अथवा किसी पक्षकार का नाम कम करने के अधिकार हैं ? मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 113 से 116 तक में भू अभिलेख की संरचना एंव सॅशोधन के नियम है किन्तु इन धाराओं में पटवारी को किसी प्रकार की अधिकारिता प्राप्त नहीं है कि वह पूर्व से अभिलिखित चले आ रहे शासकीय अभिलेख में किसी प्रकार का फेर बदल कर सके। विचाराधीन प्रकरण में अपर कलेक्टर ने विस्तृत विवेचना कर निष्कर्ष निकाला है कि विकय पत्र से कय की गई वादग्रस्त भूमि पर मृतक रामसिया का नाम हिस्सा 1/4 के सहस्वामित्व पर

दर्ज चला आ रहा था एंव हलका पटवारी ने बिना सक्षम अधिकारी के आदेश के स्वस्तर से मृतक रामसिया के हिस्सा 1/4 की चली आ रही प्रविष्टि को शासकीय अभिलेख से विलोपित करने का अधिकारविहीन कार्य किया है जिसके कारण उन्होंने आदेश दिनांक 9-12-15 व्दारा ग्राम मलियापुरा की किस्तबंध खतोनी वर्ष 1982-83 खाता कमांक 111 पर अपीलांट एंव रिस्पाण्डेन्टस् के नाम समान भाग 1/4 का इन्द्राज पूर्ववत् दुरूस्त करने का निर्णय लिया है जिसके कारण अपर कलेक्टर व्दारा लिये गये निर्णय में किसी प्रकार की कमीवेशी नहीं पाई गई है। अतएव अपर कलेक्टर, जिला दतिया व्दारा प्रकरण कमांक 21/2014-15 अपील में पारित आदेश दिनांक 09-12-2015 विधिवत् होने एंव Speaking order की परिधि में होने से हस्तक्षेप योग्य नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर कलेक्टर, जिला दतिया व्दारा प्रकरण कमांक 21/2014-15 अपील में पारित आदेश दिनांक 09-12-2015 विधिवत् होने से हस्तक्षेप योग्य नहीं है। अतः निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर